संख्या- 4/958 /22-4-14-48(65)/11

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 11 सितम्बर,2014

विषय- जिला कारागार, मेरठ की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण के पुनरीक्षित आगणन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 19643/नम-3140, दिनांक- 17 जुलाई, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-626/22-4-2011-48(65)/10, दिनांक 28-02-11 द्वारा जिला कारागार, मेरठ की व्रतमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु अनुमानित आगणन रू0 6,12,86,000/-(रूपया छः करोड़ बाहर लाख छियासी हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा अनुमोदित लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त कीज जा चुकी है।

2- उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17-07-14 द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक-16-04-14(कार्यवृत्त संलग्न) में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय रू0 8,22,40,000/- (रूपया आठ करोड बाइस लाख चालीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासनिक/ वित्तीय अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं -

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने की द्रष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्नगत कार्य आरम्भ् करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुण्वत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(5) अनुमोदित कार्य की तकनीकी स्वीकृति निर्गत् करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अथवा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेग।

(6) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(7) शासनोदश दिनांक 28-2-13 की शेष शर्तो यथावत रहेंगी।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्वय-80-सामान्य -051-निर्माण-03- कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्वार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/ मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1415/दस-2014, दिनांक-08 सितम्बर,2014 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 4/954(1)/22-4-14-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक,, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, मेरठ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञां से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in